

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर

॥ कार्यालय आदेश ॥

निदेशक JCERT रौंघी के झापांक 317 दिनांक 11.02.2025 के आलोक में दिनांक 11.08.2025 को सम्पन्न उपायुक्त देवघर की अध्यक्षता में बी0एड/डी0एल0एड0 इत्यादि कोर्स में नामांकित प्रशिक्षुओं के अभ्यास पाठ हेतु विद्यालय आवंटन से संबंधित बैठक के प्रस्ताव संख्या 01 पर लिये गए निर्णय के आलोक में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं को अभ्यास/अवलोकन पाठ हेतु विद्यालय का आवंटन निम्नरूपेण किया जाता है।

Sl No.	Name of College	COURSE	आवंटित विद्यालय का नाम
1	Madhusthali Institute of Teacher Training	B.Ed / D.El.Ed	उत्कर्मित उच्च विद्यालय सुग्गापहाडी 2
2			कस्तूरबा गौंधी बालिका उ0वि0 मधुपुर
3			उत्कर्मित उच्च विद्यालय गड़िया
4			उत्कर्मित उच्च विद्यालय जामा मधुपुर
5			उत्कर्मित उच्च विद्यालय बुढेई
6			उत्कर्मित मध्य विद्यालय नगरपालिका
7			प्राथमिक विद्यालय सलैया
8			उत्कर्मित मध्य विद्यालय सलैया
9			उत्कर्मित मध्य विद्यालय गोन्दलीटॉड
10			उत्कर्मित मध्य विद्यालय दर्य
11			उत्कर्मित मध्य विद्यालय जमुनियारटॉड
12			उत्कर्मित मध्य विद्यालय केसरगढ़ा
13			उत्कर्मित उच्च विद्यालय धमनी
14			उत्कर्मित मध्य विद्यालय सुग्गापहाडी 1
15			उत्कर्मित उच्च विद्यालय जामा
16			मध्य विद्यालय महुआडाबर
17			अंची देवी बालिका +2 उ0वि0 मधुपुर
18			उत्कर्मित उच्च विद्यालय बरमसिया
19			मध्य विद्यालय खलासी मुहल्ला उर्दू
20			उत्कर्मित मध्य विद्यालय संधाली सिमरा उर्दू

उपरोक्त वर्णित विद्यालय में अभ्यास/अवलोकन पाठ हेतु संबंधित संस्थान/महाविद्यालय के प्राचार्य अपने स्तर से संस्थान के प्रशिक्षुओं को विद्यालय आवंटित करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यास पाठ की अवधि में सभी प्रशिक्षु विद्यालय के नियम एवं कायदे का पालन दृढतापूर्वक करना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय आवंटन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि बदलाव की स्थिति आती है तो कार्यालय स्तर से आवंटित किये गए विद्यालयों में आवश्यकतानुसार स्वयं के स्तर से बदलाव करेंगे एवं इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराएँगे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
देवघर

झापांक :- 1364 / देवघर, दिनांक 11/08/25

प्रति लिपि :- संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है, कि उपरोक्त अंकित तथ्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रति लिपि :- संबंधित अभ्यास पाठ हेतु आवंटित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है, कि संबंधित प्रशिक्षुओं को अभ्यास पाठ हेतु आवश्यक व्यवस्था/सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
देवघर